ा

...सन्..............................

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
ाकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 127/2020 प्रा0पत्र

<u>अनवान</u>

भंवरसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह राजपूत आयु वयस्क नि0 हापत तहसील सोजत सिटी जिला पाली (राज0) हाल मुकाम सरेड़ी तहसील माण्डल हाल तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)। ———प्रार्थी।

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब,करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)। ———विपक्षी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 25.08.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड ग्राम सरेड़ी पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता सं. 94 में आ0नं0 860 लगायत 870 कुल किता–11 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि में भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत नि0 हापत तहसील सोजत जिला पाली खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। जबकि प्रार्थी के भूमि कय के दस्तावेज में पता भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत नि0 हापत तहसील सोजत जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम सरेड़ी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा अंकित है। प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में पता हापत तहसील सोजत जिला पाली के बजाय सरेड़ी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा दुरूस्त कराये जावे तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र की प्रतियां, शपथ पत्र, भूमि कय के दस्तावेज एवं उसकी पत्नि के नाम के ग्राम सरेड़ी में स्थित आवासीय पट्टे एवं पट्टे के रजिस्टर्ड दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें प्रार्थी का पता ग्राम सरेड़ी है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेज तथा शपथ पत्र का अवलोकन किया जाने उपरांत पाया कि प्रार्थी की कृषि भूमि के कय दस्तावेज में प्रार्थी का पता हापत तहसील सोजत जिला पाली हाल मुकाम सरेड़ी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा लिखा गया था जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल करते समय हाल मुकाम सरेड़ी तहसील माण्डल अंकित नहीं किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अंकित रिपोर्ट पटवारी से प्रार्थी मूलतः ग्राम हापत तहसील सोजत जिला पाली के निवासी है। प्रार्थी अब करीब 15 वर्षो से ग्राम सरेड़ी पटवार मण्डल भभाणा में निवासरत है। प्रार्थी के संलग्न दस्तावेजात में प्रार्थी का पता ग्राम सरेड़ी है।

ड अधिकारी पदेन
ाक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संवंध में तहसीलदार करेड़ा की संलग्न रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत ग्राम सरेड़ी पंचायत भभाणा तहसील करेड़ा के है जबकि ग्राम सरेड़ी के खाता सं. 94 में श्री भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत सा0 हापत तहसील सोजत जिला पाली अंकित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी नाम ग्राम सरेड़ी के खाता सं. 94 में श्री भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत सा0 हापत तहसील सोजत जिला पाली के बजाय श्री भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत सा0 सरेड़ी दर्ज किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड ग्राम सरेड़ी की जमाबंदी सं0 2070–2073 के खाता सं0 94 में आ0नं0 860 लगायत 870 कुल किता 11 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि में दर्ज श्री भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी हापत तहसील सोजत जिला पाली के बजाय भंवरसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी सरेड़ी तहसील करेड़ा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार करेड़ा राजस्व रेकार्ड में अंकन दुरूस्त करे। पालनार्थ तहरीर तहसीलदार करेड़ा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंवर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)

(महीपाल सिंह)
उपखंड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर करेड़ा
करेड़ा